भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **71**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

वैकल्पिक उर्वरको का उपयोग

71. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;
(ग) क्या सरकार का इसे बढ़ावा देने के लिए ऐसे जैविक और जैव-उर्वरकों पर राजसहायता देने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (घ): जी, हां। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों अर्थात राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) सहित अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार की स्कीमों के माध्यम से जैव उर्वरकों और आर्गेनिक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। आर्गेनिक खेती के तहत, पीजीएस-इंडिया प्रमाणन डाटा के अनुसार लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। वर्तमान में, देश में पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत 1632852 किसानों के साथ कुल 1016429 हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसानों को आर्गेनिक आदानों का उपयोग करके आर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यह स्कीमें किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात आर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान करती हैं। आर्गेनिक उर्वरकों के खेत पर उत्पादन और इसके उपयोग के बारे में किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण इन स्कीमों का अभिन्न अंग है। किसानों को विभिन्न आर्गेनिक आदानों के लिए पीकेवीवाई के तहत 31,000 रुपये/ हेक्टेयर/3 वर्ष और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 32,500 रुपये/हेक्टेयर/3 वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सरकार ने तीन वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) की अवधि के लिए गोबरधन पहल और धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) के तहत आर्गेनक उर्वरकों अर्थात संयंत्रों में उत्पादित खाद को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है।

पीएम-प्रणाम पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक खेती आदि को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को सहयोग देना है।

सरकार आर्गेनिक और जैव-उर्वरकों के संयोजन से मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशों पर आधारित उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कम होने की आशा है जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी।

*****